प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 983/2007

अपीलार्थी **भोलाराम**
(कारगार में)

बनाम

प्रत्यर्थी **छत्तीसगढ़ राज्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय सुनाए जाने हेतु दिनांक: 11/08/2009 को सूचीबद्ध करे।

सही /-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक. 983/2007

अपीलार्थी भोलाराम, पिता स्व. लाल,
(कारगार में) बहादुर उम्र 48 वर्ष,
निवासी- स्टेशन के पास, भिलाई-3, भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना-
जी.आर.पी. भिलाई-दुर्ग (छ.ग.)

धारा 374 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपील।

एकलपीठ-(माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति)

उपस्थित:- श्रीमती सविता तिवारी, अपीलार्थी की अधिवक्ता।
श्री सुशील दुबे, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 11/08/2009 को पारित)

1. यह दांडिक अपील सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा दिनांक 5/9/07 को सत्र विचारण क्रमांक. 433/91 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को सामूहिक बलात्संग के अपराध के लिए दोषी मानते हुए भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में संहिता) की धारा 376 (2) (छ) और 450 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया और 10 वर्ष के कठोर कारावास, तथा 1000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया, जुर्माने का भुगतान न कर पाने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास

और 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 500/- रुपये के जुर्माना , जुर्माने का भुगतान न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास का दण्ड दिया।

2. दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश को अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपीलार्थी द्वारा सामूहिक बलात्संग करने के संबंध में बिना किसी साक्ष्य के, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपर्युक्त अनुसार दोषसिद्ध और दंडित किया, और इस प्रकार अवैधता कारित किया है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में है :- अभियोक्त्री (अ.सा.क्र.5) उम्र लगभग 24 वर्ष जो की पुरेना स्टेशन के पास जिला दुर्ग में एक झोपड़ी में निवास करती थी। घटना दिनांक 26 और 27 जून 1991 की मध्यरात्रि रात को लगभग 9 बजे, वह अपना खाना पका रही थी, अपीलार्थी भोलाराम अभियोक्त्री के घर के सामने निवास करता था। अभियुक्त ने अभियोक्त्री से पूछा कि क्या वह उसके लिए भी खाना पका रही है उसके मना करने पर अभियुक्त चला गया।खाना खाने के बाद अभियोक्त्री ने दरवाजा बंद कर लिया और सोने चली गई। रात लगभग 11 बजे, किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। वह डर हुई थी | उसने मदद के लिए भी पुकारा, तब दरवाजा तोड़कर 3 व्यक्ति उसके घर में घुस गए और उसका गला पकड़ लिया और उसके कपड़े उतार दिए। अभियुक्त भोलाराम ने उसके साथ संभोग किया। उसने उसके साथ दो बार संभोग किया। एक अन्य सह-अभियुक्त शंभू ने भी उसके साथ दो बार संभोग किया और एक अन्य अभियुक्त ने भी उसके साथ बलात्संग किया। दोनों अभियुक्त ने फिर से प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इन्द्रिय भोग किया उसके साथ अपना पुरुष अंग अभियोक्त्री के गुदा में अनुप्रविष्ठ करके।वह बेहोश हो गई, फिर से उन्होंने संभोग किया। जब वे अभियोक्त्री के घर से भाग गए, तो उन्होंने उसे धमकी दी तब वह कीर्तनबाई के घर गई और उसे घटना के बारे में बताया।दूसरे दिन सुबह भोलाराम उसके घर आया और टूटे हुए दरवाजे की मरम्मत की और उसे डॉक्टर के पास ले गया जहाँ डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया। अभियोक्त्री ठीक से चलने की स्थिति में नहीं थी। उसके गुप्तांग और गुदा में दर्द हो रहा था। दिनांक 30/6/91 को उसने अपनी रिपोर्ट प्र.पी-5 दर्ज कराई। अभियोक्त्री के घर से अभियुक्त ऊबे द्वारा लिए गयी एक साड़ी और 10 रुपये की बरामदगी प्र.पी-9 के माध्यम से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हुई। अपराध करते समय इस्तेमाल किया गया कंबल और जूट का बोरा अभियोक्त्री के घर से प्र.पी-10 के माध्यम से बरामद किया गया। अभियोक्त्री को अ.सा.क्र.2 डॉ. श्रीमती एन.शर्मा द्वारा चिकित्सीय परीक्षा के लिए भेजा गया। दिनांक 02.07.91 को उसकी चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान, दाहिनी जांघ पर 3" x 2" का एक नीलांगू, बाईं स्तन पर 3" x 1" का नीलागूं और दोनों पिंडलियों की मांसपेशियों पर खरोंचें पाई गईं। उसके गुप्तांगों और गुदा पर भी कोमलता पायी गई । योनि स्मीयर की दो स्लाइडें ली गईं। उसने एक कंबल और जूट के थैले का भी प्रदर्श-5 के माध्यम से किया । अभियुक्त ऊबे और शंभु का परीक्षण डॉ. एल.डी. धोते द्वारा, प्र.पी -1 और प्र. पी -2 के माध्यम से किया गया । घटना स्थल का नक्शा प्रति प्र. पी -3 तैयार किया गया था।

4. साक्षियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। ततपश्यात अन्वेषण पूरी होने पर, अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत किया,जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, दुर्ग को उपर्पित किया ।अपराध के घटित होने के बाद, अभियुक्त भोलाराम गाँव से फरार हो गया था। दो अभियुक्त, का विचारण हुआ और उन्हें दिनांक 22/3/93 के निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (छ), 450, 377 और 380 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। वर्तमान अभियुक्त को वर्ष 2006 में गिरफ्तार किया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. अभियुक्त के दोष को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 5 गवाहों का परीक्षण किया। अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज हुआ । उसने अपने खिलाफ प्रस्तुत परिस्थितियों से इंकार किया, निर्दोषता और झूठे फंसाए जाने का दावा किया। पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्यात, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (छ) और 450 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

6. अपीलकर्ता की अधिवक्ता श्रीमती सविता तिवारी, और श्री सुशील दुबे, अतिरिक्त लोक अभियोजक को सुना गया।

7. आक्षेपित निर्णय और अधीनस्थ अदालतों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि वर्तमान अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग का कोई अपराध नहीं किया है अभियोक्त्री अपीलार्थी से विवाह करने की इच्छा रखती थी और अपीलार्थी के मना करने पर उसे झूठा फंसाया है।

9. प्रत्यर्थी /राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि अपराध के समय अपीलार्थी की उपस्थिति और यहाँ तक की अपीलार्थी द्वारा संभोग किए जाने की बात भी अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं है। अभियोक्त्री ने विशेष रूप से बताया है कि अपीलार्थी और दो अन्य व्यक्तियों ने उसके साथ जबरदस्ती संभोग किया है और अभियोजन पक्ष ने मामले को पूरी तरह संदेह की छाया से परे साबित किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. पक्षों के दलील को समझने के लिए, मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए साक्ष्य का परीक्षण किया है । अ.सा.क्र.5 अभियोक्त्री ने अपने साक्ष्य में बताया है कि घटना की तारीख पर वह अपनी झोपड़ी में (अस्थायी झोपड़ी बनाने के बाद) अकेली रह रही थी। रात लगभग 8-9 बजे अपीलार्थी उसके घर के पास आया और खाना पकाने के बारे में बात की कुछ समय बाद वह सोने के लिए अंदर चली गई रात लगभग 10 बजे उसने कुछ चिल्लाने की आवाज सुनी तब अभियुक्त भोलाराम, शंभू और ऊबे के साथ मिलकर उसका दरवाजा तोड़कर उसकी झोपड़ी में घुस गया। अभियुक्त भोलाराम ने उसके कपड़े उतार दिए और जबरदस्ती लिटाकर संभोग किया। अन्य अभियुक्तों ने भी संभोग किया। अभियुक्तगण अभियोक्त्री के घर से भाग गए। वह चलने की स्थिति में नहीं थी, किसी तरह वह कीर्तनबाई के घर गई जहाँ उसने घटना के बारे में बताया। उसने तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। उसे धमकी दिया गया था , अंत में उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 के माध्यम से दर्ज कराई। कंबल और जूट का थैला प्रदर्श पी-10 के माध्यम से बरामद किया गया था। अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया था। उसने यह भी बताया कि अभियुक्त ने प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया। अ.सा.क्र -2 डॉ. श्रीमती एन. शर्मा ने बताया कि दिनांक 2/7/91 को उन्होंने अभियोक्त्री का

परीक्षण किया। वह अपने पूरे शरीर में दर्द की शिकायत कर रही थी। उसके दाहिने पिंडली की माँसपेशियों पर सूजन थी। दाहिने स्तन पर सूजन और दाहिने स्तन पर खरोंचें पाई गईं, जो प्रदर्श पी-4 में उल्लिखित है। उनके गुप्तांग और गुदा पर कोमलता मौजूद थी। उन्होंने अपने बयान के कंडिका-4 में स्पष्ट किया है कि सूजन नीलांगू के रूप में थी और उनके गुप्तांग और गुदा को छूने पर कोमलता थी।अ.सा.क्र-1 भगीरथी ने अपने साक्ष्य में बताया कि घटना के समय वह अभियोक्त्री के घर के सामने रह रहा था। घटना के समय अभियोक्त्री ने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन वह नहीं आया। उसने अभियोक्त्री को दूसरे दिन सुबह देखा। अभियोक्त्री घर के सामने बैठी थी और रो रही थी। अभियोक्त्री ने इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित करार किया।अ.सा.क्र-4 कीर्तनबाई ने अपने साक्ष्य में बताया कि घटना की तारीख को लगभग आधी रात को 12:32 को अभियोक्त्री उसके घर आई और उसका दरवाजा खटखटाया जब उसने दरवाजा खोला तो अभियोक्त्री ने पानी माँगा और पानी पीने के बाद उसने बताया कि भोलाराम सहित 3 व्यक्तियों ने उसके साथ बलात्संग किया है।अ.सा.क्र-5 अभियोक्त्री ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका-9 में यह स्वीकृत किया कि उसके ससुराल वालों और पति ने उसे छोड़ दिया है और उसने घटना से मात्र 3-4 दिन पहले ही एक नई अस्थायी झोपड़ी बनाई थी अन्य व्यक्तियों ने भी अस्थायी झोपड़ियाँ बनाई थीं, परन्तु उन्होंने उनमें रहना शुरू नहीं किया था। उसके बयान और प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुछ विसंगति, लोप और विरोधाभास हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. बचाव पक्ष ने उससे प्रति परीक्षण के कंडिका-15 में पूछा है कि उसने स्वयं अभियुक्तों को आमंत्रित किया था और उनके लिए भोजन पकाया था। बचाव पक्ष ने यह भी सुझाव दिया है कि वह स्वयं फर्श पर लेट गई थी, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया और विशेष रूप से कहा कि वर्तमान अभियुक्त ने उसे फर्श पर गिरा दिया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि वह अभियुक्त से शादी करना चाहती है और जब उसने मना कर दिया, तो उसने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। अपराध किए जाने के समय अभियोक्त्री के घर में अपीलार्थी की उपस्थिति वस्तुतः अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं है। अपीलार्थी ने विशेष रूप से सुझाव दिया है कि अभियोक्त्री ने उसे आमंत्रित किया था और वह खुद ही संभोग के लिए फर्श पर लेट गई थी, जिसका उसने अपने बयान में विशेष रूप से खंडन किया है उसके बयान का समर्थन अ.सा.क्र-4 कीर्तनबाई द्वारा किया गया है, जिसे उसने तुरंत घटना के बाद बताया

था और अभियोक्त्री के साथ हुई कुछ असामान्य घटना का समर्थन पक्षद्रोही गवाह अ.सा.क्र-1 भागीरथी ने भी किया है। अ.सा.क्र-2 डॉ. एन. शर्मा ने बताया कि उसके गुप्त अंग पर कोमलता पाई गई थी और उसकी छाती और पैर पर भी चोट पाई गई थी। अभियोजन पक्ष ने पहले भी दो अन्य अभियुक्त के खिलाफ विचारण के दौरान अभियोक्त्री को अ.सा.क्र-7 के रूप में परीक्षित किया था, जहाँ उसने अपने बयान में भी यही बात कही थी। वर्तमान विचारण में, उसने बताया कि 3 व्यक्तियों ने उसके साथ दो बार संभोग और इन्द्रिय भोग किया डॉक्टर द्वारा पाई गई कोमलता और चोटें ऐसे अपराध के किए जाने का समर्थन करती हैं।

12. अभियोक्त्री ने विशेष रूप से बताया कि दरवाजा तोड़ने के बाद अपीलार्थी उसके घर में घुस आये और उसके साथ संभोग किया, जो आजीवन कारावास से दंडनीय है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. यौन अपराध की अभियोक्त्री को एक सह-अभियुक्त के बराबर नहीं रखा जा सकता है। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता होती है। साक्ष्य के संपुष्टि के प्रश्न का निपटारा करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन**[1] , के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोक्त्री को एक सह-अभियुक्त के बराबर नहीं रखा जा सकता है। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है। कंडिका- 16 इस प्रकार है:

----

[1](1990) 1 SCC 550 : 1990 SCC (Cri.) 210

“16.यौन अपराध की अभियोक्त्री को सह-अपराधी के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह तात्विक विशिष्टताओं से सम्पुष्टि न हो। वह निस्संदेह धारा 118 के तहत एक सक्षम साक्षी है और उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में घायल व्यक्ति के साक्ष्य को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए जितनी किसी घायल परिवादी या साक्षी के मामले में बरती जाती है , इससे अधिक नहीं। जो आवश्यक है वह यह है कि न्यायालय को इस

तथ्य के प्रति सजक और सचेत रहना चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य का विवेचन कर रहा है।

a.जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में हितबद्ध है। यदि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है और संतुष्ट महसूस करता है कि वह अभियोक्त्री के साक्ष्य पर कार्रवाही कर सकता है, तो साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के दृष्टांत (ख) के समान कोई ऐसा विधि का या व्यवहार का नियम सन्निहित नहीं है जो उससे सम्पुष्टि की अपेक्षा करता हो। यदि किसी कारणवश न्यायालय अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर निहित विश्वास करने में संकोच करता है, तो वह देख सकता है

b. ऐसे साक्ष्य जो उसके परिसाक्ष्य की पुष्टि कर सके जो सह-अपराधी के मामले में अपेक्षित सम्पुष्टि से कम हो। अभियोक्त्री की परिसाक्ष्य को आश्वासन देने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।लेकिन यदि अभियोक्त्री एक वयस्क है और पूर्ण समझ वाली है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने का हकदार है जब तक कि वह

c. अशक्त और अविश्वसनीय न दिखाया जाए। यदि मामले के अभिलेख में दर्ज परिस्थितियों की समग्रता यह प्रकट करती है कि अभियोक्त्री के पास आरोपित व्यक्ति को झूठा फँसाने का कोई मजबूत हेतुक नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए।”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14.इसी प्रकार के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **एस. रामकृष्ण बनाम प्रतिनिधित्व द्वारा लोक अभियोजक , उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश हैदराबाद**[2] , के मामले में अभिनिर्णीत किया है की अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि की जा सकती है। वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री के कथन की सम्पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य, तथा अ.सा.क्र-4 किर्तनबाई जिसको घटना के बारे में तुरंत बाद बताया के साक्ष्य अभियोक्त्री तथा उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन तथा अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को दिए गए सुझाव के पश्चात्, उसका कथन विश्वास को प्रेरित करता है, विश्वसनीय और उस पर भरोसा किया जा सकता है।

15.अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के मूल्यांकन के उपरांत, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपर्युक्त अपराधों में दोषसिद्ध कर दंडादेश दिया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य पर आधारित है। जहाँ तक दंडादेश का प्रश्न है, सामूहिक बलात्संग के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000/- रुपये के जुर्माने का दंडादेश तथा धारा 450 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध करने के आशय से गृह-भेदन के अपराध के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 500/- रुपये के जुर्माने का दंडादेश न तो अत्यधिक है और न ही अन्यायपूर्ण।

16.उपरोक्त कारणों से, मुझे वर्तमान अपील में कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। अपील गुण-दोष से रहित है और खारिज किए जाने योग्य है तदनुसार खारिज की जाती है।

सही /-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Disclaimer - हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Advocate Kokila Rakesh Sharma